संख्या-5/2019193/12-5-2019/सा०-167/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, **2019**

विषयः- राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों द्वारा विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु अनुमन्य दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 को सम्बोधित आपके पत्रांक-एस-1276/2018-19 दिनांक 20 अगस्त, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-499/12-5-2014-32/90टी0सी0 दिनांक 04.09.2014 को अतिक्रमित करते हुए राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों को विभिन्न फसलों पर क्राप-कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 260.00 प्रति क्राप-कटिंग प्रयोग दर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

(1)	मजदूरी के मद में	रू0 80.00
(2)	मानदेय के मद में (राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों, जिनके द्वारा क्राप-कटिंग करायी जाये)	रू0 80.00
(3)	क्षतिपूर्ति (प्रतिकर भत्ता) के मद में	रू0 100.00
	कुल योग-	रू0 260.00

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-03कृषि आकड़ो में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

कृपया प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 11.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।